

हरियाणा विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

संख्या एचवीएस-एलए-52 / 2023 / 109

दिनांकित 23 फरवरी, 2023.

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2023 को वर्ष 2023–2024 के बजट पर अनुदान की मांगों पर विचार करने के लिए हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 190(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित विभागीय संबंधित स्थायी समितियों के सामने उल्लेखित निम्नलिखित सभापति/सदस्यों को नामित किया गया है:-

1. लोक प्रशासन तथा शासन समिति पर स्थायी समिति

विभाग का नाम	मांग संख्या	सभापति	सदस्य	विधायक
विधान सभा	1		सदस्य	श्री घनश्याम सराफ, विधायक
राज्यपाल तथा मंत्री परिषद्	2		सदस्य	श्री दूड़ा राम, विधायक
सामान्य प्रशासन	3		सदस्य	श्री गोपाल कांडा, विधायक
निर्वाचन			सदस्य	श्री दीपक मंगला, विधायक
राजस्व और आपदा प्रबंधन, अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं)	4		सदस्य	श्री भव्य बिझ्नोई, विधायक
आबकारी एवं कराधान			सदस्य	श्री जोगी राम सिहाग, विधायक
			सदस्य	श्री इन्दु राज, विधायक
			सदस्य	श्री सुभाष गंगोली, विधायक
			सदस्य	श्री धर्मपाल गोंदर, विधायक

2. कानून एवं व्यवस्था तथा सुरक्षा पर स्थायी समिति

मांग संख्या	विभाग का नाम
5	गृह (गृह रक्षी तथा नागरीक सुरक्षा)
	जेल (कारागार)
	न्यायिक प्रशासन (उच्च न्यायालय, अभियोजक पक्ष, ए. जी.ओ.टी., कानूनी सेवा प्राधिकरण)

3. वित्त पर स्थायी समिति

विभाग का नाम	मांग संख्या	सभापति	श्री असीम गोयल, विधायक	1.
वित्त तथा संस्थागत वित्त एवं ऋण नियंत्रण, आपूर्ति एवं निपटान	6	सदस्य	श्रीमती किरण चौधरी	2.
		सदस्य	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	3.
		सदस्य	श्री हरविन्द्र कल्याण, विधायक	4.
		सदस्य	श्री विनोद भ्याणा, विधायक	5.
		सदस्य	श्री आफताब अहमद, विधायक	6.
		सदस्य	श्रीमती नैना सिंह चौटाला, विधायक	7.
		सदस्य	श्री सीता राम यादव, विधायक	8.
		सदस्य	श्री अमित सिहाग, विधायक	9.

4. कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर स्थायी समिति

मांग संख्या	विभाग का नाम
10	कृषि एवं किसान कल्याण, बागवानी
	पशुपालन एवं डेयरी विकास
	मत्स्य पालन
	खनन एवं भू-विज्ञान
	पर्यावरण, वन एवं वन्य प्राणी
सभापति	श्री घनश्याम दास अरोड़ा, विधायक
सदस्य	मोहम्मद इलियास, विधायक
सदस्य	श्री बिशन लाल सैनी, विधायक
सदस्य	श्री बिश्म्बर सिंह, विधायक
सदस्य	श्री लक्ष्मण नापा, विधायक
सदस्य	श्रीमती निर्मल रानी, विधायक
सदस्य	श्री बलबीर सिंह, विधायक
सदस्य	श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक
सदस्य	श्री रणधीर सिंह गोलन, विधायक

5. खाद्य एवं सहकारी क्षेत्र पर स्थायी समिति

मांग संख्या	विभाग का नाम
11	सहकारिता
	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले
16	सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं अंत्योदय (एस.ई.डब्ल्यू.ए)
	भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण
सभापति	श्री ईश्वर सिंह, विधायक
सदस्य	राव दान सिंह, विधायक
सदस्य	श्री धर्म सिंह छौकर, विधायक
सदस्य	डॉ. कृष्ण लाल मिडढा, विधायक
सदस्य	श्री संजय सिंह, विधायक
सदस्य	श्री सुधीर कुमार सिंगला, विधायक
सदस्य	श्री सत्य प्रकाश, विधायक
सदस्य	श्री चिरंजीव राव, विधायक
सदस्य	श्री कुलदीप वत्स, विधायक

6. मनाव विकास एवं सामाजिक कल्याण पर स्थायी समिति

मांग संख्या	विभाग का नाम
12	शिक्षा (माध्यमिक/प्राथमिक)
	उच्च शिक्षा (उच्च, तकनीकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)
	महिला एवं बाल विकास
13	खेल
	विरासत एवं पर्यटन (पुरातत्व, संग्रहालय, पर्यटन)
14	स्वास्थ्य, स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनुसंधान, आयुष, खाद्य एवं औषिधि प्रशासन
15	श्रम
	युवा अधिकारिता तथा उद्यमिता (कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण, रोजगार, युवा मामले)
सभापति	श्रीमती सीमा त्रिखा, विधायक
सदस्य	श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक
सदस्य	श्री जगदीश नायर, विधायक
सदस्य	श्री लीला राम, विधायक
सदस्य	श्री लक्ष्मण सिंह यादव, विधायक
सदस्य	श्री अमरजीत ढांडा, विधायक
सदस्य	श्री मामन खान, विधायक
सदस्य	श्री शीशपाल सिंह, विधायक
सदस्य	श्री सुरेन्द्र पंवार, विधायक
सदस्य	श्री सोमबीर सांगवान, विधायक

7. आधारभूत संरचना विकास पर स्थायी समिति

मांग संख्या	विभाग का नाम
17	लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)
	परिवहन, नागर विमानन
18	सूचना, लोक संपर्क, भाषा तथा संस्कृति
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री
19	उर्जा विभाग (विद्युत, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा)
	औद्योगिक एवं वाणिज्य, एम. एस.एम.ई.
	सिंचाई एवं जल संसाधन

8. क्षेत्रीय विकास एवं स्थानीय स्व शासन पर स्थायी समिति

मांग संख्या	विभाग का नाम
20	नगर तथा ग्राम आयोजना, शहरी सम्पदा (शहरी विकास)
	शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय शासन)
	विकास एवं पंचायत (ग्रामीण विकास)
	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

- (क) प्रत्येक स्थायी समिति संबंधित विभागों की अनुदानों की मांगों पर विचार करेगी और उनकी रिपोर्ट तैयार करेगी।
- (ख) स्थायी समिति रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की कटौती प्रस्तावों का सुझाव नहीं देगी।
- (ग) प्रत्येक स्थायी समिति अपनी रिपोर्ट 17.03.2023 को सदन में प्रस्तुत करेगी और इससे अधिक समय के लिए नहीं कहेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार

आर.के. नांदल,
सचिव

संख्या एचवीएस—एलए—52 / 2023 / 3401

दिनांकित 23 फरवरी, 2023.

एक प्रति नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन—सामग्री, हरियाणा, चण्डीगढ़ को आज की तारीख वाले हरियाणा सरकार के गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

अवर सचिव,
कृते: सचिव।

संख्या एचवीएस—एलए—52 / 2023 / 3402—09

दिनांकित 23 फरवरी, 2023.

एक प्रति इनको अग्रेषित है

1. हरियाणा विधान सभा के समस्त सदस्यगण;
2. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़;
3. सभी अपर मुख्य सचिव तथा प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़;
4. हरियाणा राज्य के समस्त विभागों के प्रमुख;
5. हरियाणा राज्य के समस्त प्रत्यापित प्रैस प्रतिनिधियों;
6. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा, चण्डीगढ़;
7. हरियाणा विधान सभा सचिवालय, चण्डीगढ़ में शाखाओं के समस्त अधिकारियों/प्रमुखों; तथा
8. वरिष्ठ सिस्टम एनालिस्ट—कम— नोडल—आफिसर, हरियाणा विधान सभा सचिवालय को विधान सभा की वेबसाईट पर सत्र की अधिसूचना की एक प्रति अपलोड करने हेतुसूचनार्थ भेजी जाती है।

अवर सचिव,
कृते: सचिव।